	,
Unit-III	/इकाई-III

15

6. "No Appeal to lie unless otherwise provided". Explain.

''जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, किसी अपील का न होना स्पष्ट कीजिए।

7. What is Revision? Explain in detail and also mention the revisional powers of High Court. पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार वर्णित कीजिये तथा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

## **Unit-IV/इकाई-IV** 15

- 8. What do you understand by release on bail?
  Also describe the provisions regarding bail in bailable offences and bail in nonbailable offences.
  - ज़मानत पर छोड़े जाने से आप क्या समझते हैं? 'ज़मान्तीय अपराध' तथा अज़मान्तीय अपराध में ज़मानत सम्बन्धित उपबन्धों का वर्णन कीजिए।
- 9. Discuss the provisions relating to 'Suspension' Remission and Commutation of Sentences. दंडादेशों का 'निलम्बन' परिहार और 'लघुकरण' सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

Α

(Printed Pages 4)

Roll No. \_\_\_\_\_

## LH 8/2873

LL.B. (Hons.) (Eighth Semester)

Examination, 2015

(New Course)

Criminal Procedure Code, PC-II

Paper-II

Time Allowed: Three Hours | [Maximum Marks: 100

Note: Answer five questions in all. Question No.1 is compulsory. Attempt one question from each Unit.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है।

 Write short notes on the following : निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए।

(a) 'Provision regarding Discharge' under the Cr.PC

'द. प्र. स. के अन्तर्गत उन्मोचन' सम्बन्धी प्रावधान।

Unit-I/	इकाई-1
---------	--------

15

- (b) Cognizance of offence by Magistrate and Court of Session. अपराधों का मजिस्ट्रेट द्वारा तथा सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान
- (c) Compounding of offence. अपराधों का शमन
- (d) Appeal by victim in criminal cases. फौजदारी मामलों में पीडित द्वारा अपील।
- (e) Tender of pardon to accomplice. सह अपराधी को क्षमादान।
- (f) How to prove previous conviction? पूर्व दोष सिद्ध कैसे सिद्ध किया जाए।
- (g) Abatement of Appeal. अपीलों का उपशमन
- (h) Record of evidence in the absence of the accused. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन
- (i) Commission for the examination of witnesses साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन
- (j) Commitment of case to correct of session.

  मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द करना।

- Describe the procedure of trial of warrant cases instituted on police report.
   पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलो के विचारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
- 3. Differentiate between the procedure in session trial and procedure in warrant trial.
  सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष वारन्ट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अन्तर लिखिए।

## Unit-II/ इकाई-II 15

- 4. (i) Mention the courts which can try the cases summery way also enumerate the offences which may be tried way.

  किन-किन न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? यह भी उल्लेखित कीजिए कि किन अपराधो का विचारण किया जा सकता है।
  - (ii) Differentiate between summery trial and summons trial. सम्मन विचारण तथा संक्षिप्त विचारण का अन्तर लिखांग
- 5. What is a judgement? Describe the contents of judgement as well as modes to pronounce a judgement.
  निर्णय से आप क्या समझते हैं? निर्णय की अन्तर्वस्तु वर्णित कीजिए तथा निर्णय सुनाने की विधि (तरीके) उल्लेखित कीजिए।